26/09/2019 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उत्तरदाता उप.। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रा.पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट ने न्यायालय में अपना अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर रखा था तथा दिनांक 18/06/19 को अपीलांट बीमार हो गया था। अधिकतर लम्बे समय तक बीमार रहा तथा उसका नियमित इलाज चलता रहा। इस कारण पेशी पर हाजिर नहीं रहा था। अपीलांट का आवेदन प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार करें। गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर P.T.O.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिवक्ता रेस्पा. ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिये गये फिर भी न्यायालय में आवश्यक पैरवी हेतु हाजिर नहीं आया। न्यायालय को गुमराह करने की नियत से बीमारी का बहाना बनाकर प्रकरण को लंबित करना चाहते है अतः अपीलांट का आवेदन खारिज फरमाया जावे।	
	अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि अपीलांट को न्यायालय द्वारा सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये गये। न्यायालय द्वारा के पीठासीन अधिकारी द्वारा दूरभाष पर सूचित करना भी इंगित है फिर भी न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण में पैरवी नहीं की गई। इससे जाहिर होता है कि अपीलांट प्रकरण को लंबा करना चाहते है। अपीलांट की कार्यवाही सदभाविक नहीं होने से अपीलांट का आवेदन स्वीकार करना न्यायसंगत नहीं है। लिहाजा अपीलांट का आवेदन अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली केस रजिस्टर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले इजलास में सुनाया गया।	
	[signature] 26/3/19 राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner